"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

(3)

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2012—माघ 14, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-4/2010/1-सूअप्र.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्र. 22 सन् 2005) की धारा 27 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) एवं (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (शुल्क एवं मूल्य विनियमन) नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 3 में, शब्द "या नान ज्युडिशियल स्टाम्प या मनीआर्डर" के पश्चात् एवं शब्द "सहित" के पूर्व, शब्द "या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक (रु. 1000 तक के अरेखांकित तथा रु. 1000 से अधिक के रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर" अन्तःस्थापित किये जाएं, एवं शब्द "मुख्य शीर्ष-0070-उप-मुख्य शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां" के स्थान पर, शब्द "मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप-मुख्य शीर्ष-(60)-अन्य सेवायें, लघु शीर्ष-(118)-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियां," प्रतिस्थापित किए जाएं.

2. नियम 4 में, शब्द "या नान ज्युडिशियल स्टाम्प या मनीआर्डर" के पश्चात् एवं शब्द "सहित" के पूर्व, शब्द "या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक (रु. 1000 तक के अरेखांकित तथा रु. 1000 से अधिक के रेखांकित) या भारतीय पोस्टल आर्डर" अन्तःस्थापित किये जाएं, एवं शब्द "मुख्य शीर्ष-0070-उप-मुख्य शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां" के स्थान पर, शब्द "मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप-मुख्य शीर्ष-(60)-अन्य सेवायें, लघु शीर्ष-(118)-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियां," प्रतिस्थापित किए जाएं.

3. नियम 5 में, शब्द "मुख्य शीर्ष-0070-उप-मुख्य शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां" के स्थान पर, शब्द "मुख्य शीर्ष-0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें, उप-मुख्य शीर्ष-(60)-अन्य सेवायें, लघु शीर्ष-(118)-सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियां" प्रतिस्थापित किए जाएं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.